(23)

संख्या– 1348 / III(2) / 11–03(प्रा0आ0) / 2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 22 मार्च, 2011

विषयः– राजभवन नैनीताल में गोल्फ कोर्स हेतु जलापूर्ति की व्यवस्था के कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव श्री राज्यपाल के पत्र संः–4584 / जी0एस0 / विविध / ए–683 / 2010–11 दिनांक 14 मार्च, 2011 तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के पत्र संः– 475 / 22 सी0बी0 दिनांक 21–02–2011 द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त कार्य के पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन नैनीताल में गोल्फ कोर्स हेतु जलापूर्ति की व्यवस्था (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) के निर्माण कार्य, लागत ₹ 15.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संः 2351 / III(2) / 10–03(प्रा0आ0) / 2010 दिनांकः 05–08–2010 द्वारा प्रदान करते हुए ₹ 1.00 लाख की टोकन धनराशि स्वीकृत की गई थी।

उक्त कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 24–06–2010 को महामहिम श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपस्थित आई0आई0टी0 विशेषज्ञों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु चयनित स्थल की टोपोग्राफी के अनुसार इस स्थल पर पूर्व स्वीकृत 2 लाख लीटर क्षमता के स्टोरेज टैंक के स्थान पर वर्तमान में 20 लाख लीटर क्षमता का स्टोरेज टैंक बनाये जाने का सुझाव दिया गया है। अतः विशेषज्ञों / आई0आई0टी0 रूड़की द्वारा दिये गये सुझावनुसार तथा टैंक की क्षमता में वृद्धि के कारण उक्त कार्य हेतु लागत ₹ 27.36 लाख का विस्तृत आगणन शासन को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन का टी0ए0सी0 वित्त से परीक्षण कराया गया। टी0ए0सी0 वित्त द्वारा उक्त कार्य की कुल ₹ 42.91 लाख [पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 15.55 + वर्तमान में आंकलित लागत ₹ 27.36] के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 40.38 लाख [₹ 15.55 + ₹ 24.83] अर्थात उक्त कार्य हेतु वर्तमान में उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 24.83 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5– प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रोफा

6– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जायेगा।

12– यदि उक्त कार्य के सापेक्ष किसी कार्य हेतु कोई धनराशि लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13– स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

14– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15– कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 गठित कर लिया जाय, जिसमें defect liability clause का प्राविधान भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

13– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

14– उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 –लेखाशीर्षक–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–800 अन्य भवन– 10 लोक निर्माण चालू कार्य हेतु निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से किया जायेगा।

15– यह आदेश लोक निर्माण विभाग की पत्रावली सं0:– 29(प्रा0आ0)/2006 में प्राप्त वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः– 1348 (1)/ III(2)/11–03(प्रा0आ0)/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
4– जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. अल्मोड़ा।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– वित्त आयोग/वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव